बिहार सरकार,
जन शिकायत कोषांग
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

पत्रांक–ज0शि0को0 (मु0स0)–07 / 2007–556 दिनांक–19.02.08

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचंद पटेल पथ, पटना

द्वाराः– वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषयः– **राज्य मुख्यालय के सभी विभाग (आरक्षी महानिदेशक कार्यालय सहित) / प्रमंडल एवं जिला स्तर पर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के ज्ञापांक–722 दिनांक–26.04.2006 द्वारा नवगठित सूचना–सह–जन शिकायत कोषांग के लिए पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों का वित्तीय वर्ष 2007–08 में 1,70,08,800 / – रूपये (एक करोड़ सत्तर लाख आठ हजार आठ सौ रूपये) की लागत पर अनुबंध के आधार पर सृजन की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश– **स्वीकृत।**

2. राज्य मुख्यालय के सभी विभाग (आरक्षी महानिदेशक कार्यालय सहित) / प्रमंडल एवं जिला स्तर पर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के ज्ञापांक–722 दिनांक–26.04.2006 द्वारा नवगठित सूचना–सह–जन शिकायत कोषांग के लिए पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों का वित्तीय वर्ष 2007–08 में 1,70,08,800 / –रूपये (एक करोड़ सत्तर लाख आठ हजार आठ सौ रूपये) की लागत पर अनुबंध के आधार पर निम्नरूपेण सृजित किया जाता है।

3. <u>मुख्यालय स्तर पर</u>

प्रत्येक विभाग में उपलब्ध बल से उप सचिव स्तर के पदाधिकारी को पभारी पदाधिकारी, जन शिकायत एवं लोक सूचना पदाधिकारी बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त संविदा / अनुबंध के आधार पर निम्न रूप से पदाधिकारी / कर्मचारी नियुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है–

क्र० सं०	*पद का नाम*	*नियुक्ति की अहर्त्ता*	*प्रतिमाह पारिश्रमिक / मानदेय*	*पदों की संख्या*	*कुल अनुमानित वार्षिक व्यय*
1	प्रशाखा पदाधिकारी (प्रत्येक विभाग के लिए 1 (एक) पद।	सचिवालय संयुक्त संवर्ग के सेवानिवृत प्रशाखा पदाधिकारी / सहायक	सेवा–निवृति के समय प्राप्त वेतन से पेंशन की राशि घटाकर अधिकतम 6000 / –(छः हजार रूपये)।	44 (चौवालिस)	31,68,000 (एकतीस लाख अड़सठ हजार) रूपये।

2	कम्प्यूटर ऑपरेटर (प्रत्येक विभाग एवं आरक्षी महानिदेशक कार्यालय के लिए अनुसूची एक में दिये गये विवरण के अनुसार) कम्प्यूटर ऑपरेटर बेल्ट्रॉन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।	(i) स्नातक (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डी0सी0ए0	5,767/–(पाँच हजार सात सौ सरसठ रूपये)	80 (अस्सी)	55,36,320/– (पचपन लाख छतीस हजार तीन सौ बीस) रूपये

इन पदों को एक विभाग से दूसरे में मुख्य सचिव के आदेश से स्थानान्तरित किया जा सकेगा, जिससे आवश्यकता में कमी/बढ़ोत्तरी हाने पर तदनुसार व्यवस्था की जा सके।

4. <u>प्रमंडल स्तर पर</u>

प्रमंडल स्तर पर उपलब्ध बल से एक अपर जिला दण्डाधिकारी स्तर के पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी, जन शिकायत एवं लोक सूचना पदाधिकारी बनाये जाएंगे। प्रमंडलीय मुख्यालय वाले जिला आवश्यकता हाने पर एक कम्प्यूटर ऑपरेटर प्रमंडल कार्यालय में प्रतिनियुक्ति करेगा।

5. <u>जिला स्तर पर</u>

जिला स्तर पर उपलब्ध बल से एक उपसमाहर्ता स्तर के पदाधिकरी, प्रभारी पदाधिकारी, जन शिकायत एवं लोक सूचना पदाधिकारी बनाये जाएंगे। इसके अतिरिक्त संविदा/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हेतु निम्नरूपेण पद सृजित किये जाते हैं:–

क्र० सं०	*पद का नाम*	*नियुक्ति की अहर्त्ता*	*प्रतिमाह पारिश्रमिक /मानदेय*	*पदों की संख्या*	*कुल अनुमानित वार्षिक व्यय*
1	कम्प्यूटर ऑपरेटर (अनुसूची 2 के विवरण के अनुसार) कम्प्यूटर ऑपरेटर बेल्ट्रॉन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।	(i) स्नातक (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डी0सी0ए0	5,767/–(पाँच हजार सात सौ सरसठ रूपये)	120 (एक सौ बीस)	83,04,480/– (तेरासी लाख चार हजार चार सौ अस्सी) रूपये

इन पदों को एक विभाग से दूसरे में मुख्य सचिव के आदेश से स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

6. (i) इन पदों पर संविदा/अनुबंध के आधार पर नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी पर कुल आवर्त्तक व्यय प्रतिवर्ष 1,70,08,800/– रू0 (एक करोड़ सत्तर लाख आठ हजार आठ सौ) अनुमानित है।

(ii) सूचना सह जन शिकायत कोषांग के उपयोग हेतु उपस्कर क्रय के लिए प्रत्येक विभाग / प्रमंडल / जिला तथा आरक्षी महानिदेशक कार्यालय के लिए अधिकत्तम बीस हजार रूपये तक की राशि व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

(iii) प्रत्येक विभाग / प्रमंडल / जिला तथा आरक्षी महानिदेशक कार्यालय के लिए एक कम्प्यूटर का क्रय अधिकत्तम प्रति कम्प्यूटर चालीस हजार रूपये व्यय की स्वीकृति दी जाती है। वित्त विभाग से इसके लिए अलग से आवश्यक निधि उपलब्ध करायी जाएगी। कम्प्यूटर एवं उपस्कर पद में अनावर्त्तक व्यय 96,80000 /– (छियानवे लाख अस्सी हजार) रूपये अनुमानित है।

(iv) विभाग में स्वीकृत बल के पारिश्रमिक / मानदेय का भुगतान विभाग के द्वारा संबंधित मद [कार्यालय व्यय (आकस्मिक व्यय)] से किया जाएगा। उसी प्रकार प्रमंडल, आरक्षी महानिदेशक कार्यालय तथा जिला स्तर पर स्वीकृत बल के पारिश्रमिक / मानदेय का भुगतान हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की मांग के अनुसार वित्त विभाग से आवंटन संबंधित मद (आकस्मिक व्यय) में उपलब्ध कराया जाएगा और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा प्रमंडल / आरक्षी माहनिदेशक कार्यालय तथा जिलों को इसे आवश्यकतानुसार उप आवंटित किया जाएगा।

7. <u>नियोजन की प्रक्रिया एवं शर्तें</u>

उपर्युक्त पदों पर नियोजन हेतु एक चयन समिति का गठन विभागीय स्तर पर विभागीय प्रधान सचिव / सचिव, प्रमंड स्तर पर प्रमंडलीय आयुक्त तथा जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी द्वारा निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जा सकेगाः–

(i) संविदा / अनुबंध के आधार पर इस नियोजन की अवधि सभी पदों के लिए प्रथम चरण में एक वर्ष के लिए होगी। आवश्यकतानुसार प्रत्येक वर्ष अवधि विस्तार हेतु विभागीय प्रधान सचिव / सचिव / प्रमंडलीय आयुक्त / जिला पदाधिकारी सक्षम होंगे।

(ii) अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्तियों द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितिकरण का दावा मान्य नहीं होगा।

(iii) अनुबंध की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का पुनर्नियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जाएगा और इसके लिए किसी ओदश का निर्गत् किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

(iv) सभी पदों पर अनुबंध के आधार पर नियोजन करते समय राज्य सरकार के आरक्षण नियमों का पालन किया जएगा।

(v) यदि कोई संस्था उक्त पदो के लिए कर्मियों को अनुबंध के आधार पर उपलब्ध कराने में सक्षम होता है तो उस पर समिति विचार कर सकती है ऐस स्थिति में कर्मचारी के साथ कोई अनुबंध नहीं रहेगा बल्कि संस्था के साथ अनुबंध रहेगा।

8. प्रस्ताव में प्रशासी पदवर्ग समिति एवं राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(अखिलेश्वर प्रसाद गिरि)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– ज0शि0को0 (मु0स0)–07/2007–556 दिनांक–19.02.08

प्रतिलिपिः– सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(अखिलेश्वर प्रसाद गिरि)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– ज0शि0को0 (मु0स0)–07/2007.................... दिनांक...................................

प्रतिलिपि– सभी प्रधान सचिव/सचिव, बिहार पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/आरक्षी महानिदेशक, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय आरक्षी महानिदेशक/सभी जिलाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक, बिहार/वित्त विभाग (बचत शाखा), बिहार, पटना एवं सभी संबंधित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(अखिलेश्वर प्रसाद गिरि)
सरकार के सचिव।